प्रक्रियाओं के बीच अंतर

CORONERS COURT
Te Kōti Kaitirotiro Matewhawhati

	आपराधिक अभियोजन प्रक्रिया	मृत्यु समीक्षा पूछताछ प्रक्रिया
प्रासंगिक कानून	अपराधिक कार्यविधि अधिनियम 2011 और अन्य कानून	मृत्यु समीक्षक अधिनियम 2006
प्रक्रिया की प्रकृति	**विरोधात्मक** स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया	**पूछताछ संबंधी** स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया
यह कब होता है	• जब कोई अपराध कथित रूप से किया जाता है और कोई आरोप दर्ज किया जाता है	• यह तब होता है जब मृत्यु संदिग्ध, अप्रत्याशित स्थितियों में या अज्ञात कारण के वजह से होती है • मृत्यु समीक्षक यह तय कर सकता है कि किसी मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता है या नहीं
उद्देश्य क्या है	• यह तय करना कि क्या कोई व्यक्ति किसी अपराध या रोष के लिए दोषी पाया जाता है| • यदि दोषी पाया जाता है तो दण्ड को निश्चित करना • अपराध संबंधित तथ्यों को निर्धारित करता है तथा क्या प्रतिवादी उचित संदेह से परे जिम्मेदार है	• मौत के कारणों तथा मौत के लिए अग्रणी परिस्थितियों की जांच करना • यदि संभव हो तो, इस तरह की परिस्थितियों में भविष्य में होने वाली मौतों को रोकने के लिए अनुशंसाएँ करना • संभाव्यता के संतुलन को बनाए रखते हुए मौत के कारणों और परिस्थितियों के नजदीकी तथ्यों को निर्धारित करता है
पीड़ित/इच्छुक पक्ष	• राज्य की ओर से कार्य करने वाले शासन-कर्ता या पुलिस • पीड़ित अदालत को उन पर हुए अपराध के प्रभाव के बारे में बताते हैं	• इच्छुक पक्ष अपने लिए कार्य कर सकते हैं या वकीलों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवा सकते हैं • इच्छुक पक्ष किन मुद्दों पर गौर करना है इसपर विचार देते हैं, और अपने लिए सबूतों का मूल्यांकन करते हैं • इच्छुक पक्ष (या उनके वकील) किसी पूछताछ में गवाहों से सवाल पूछ सकते हैं
निर्णय कौन लेते हैं	न्यायाधीश या जूरी	मृत्यु समीक्षक
परिणाम	**'सदोष' या 'निर्दोष' का निर्णय** **यदि सदोष हो, तो सजा**	**पूछताछ से पहले सबूत के आधार पर मौत के कारण(णों) और परिस्थितियों के बारे में जाँच परिणाम** **जांच परिणामों में समान परिस्थितियों में भविष्य में होने वाली मौतों की संभावना को कम करने के लिए अनुशंसाएँ शामिल हो सकती हैं**

प्रक्रियाओं के बीच अंतर

CORONERS COURT
Te Kōti Kaitirotiro Matewhawhati

आपराधिक अभियोजन प्रक्रिया		मृत्यु समीक्षा पूछताछ प्रक्रिया
अपराधिक कार्यविधि अधिनियम 2011 और अन्य कानून	**प्रासंगिक कानून**	मृत्यु समीक्षक अधिनियम 2006
विरोधात्मक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया	**प्रक्रिया की प्रकृति**	**पूछताछ संबंधी** स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया
• जब कोई अपराध कथित रूप से किया जाता है और कोई आरोप दर्ज किया जाता है	**यह कब होता है**	• यह तब होता है जब मृत्यु संदिग्ध, अप्रत्याशित स्थितियों में या अज्ञात कारण के वजह से होती है • मृत्यु समीक्षक यह तय कर सकता है कि किसी मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता है या नहीं
• यह तय करना कि क्या कोई व्यक्ति किसी अपराध या रोष के लिए दोषी पाया जाता है| • यदि दोषी पाया जाता है तो दण्ड को निश्चित करना • अपराध संबंधित तथ्यों को निर्धारित करता है तथा क्या प्रतिवादी उचित संदेह से परे जिम्मेदार है	**उद्देश्य क्या है**	• मौत के कारणों तथा मौत के लिए अग्रणी परिस्थितियों की जांच करना • यदि संभव हो तो, इस तरह की परिस्थितियों में भविष्य में होने वाली मौतों को रोकने के लिए अनुशंसाएँ करना • संभाव्यता के संतुलन को बनाए रखते हुए मौत के कारणों और परिस्थितियों के नजदीकी तथ्यों को निर्धारित करता है
• राज्य की ओर से कार्य करने वाले शासन-कर्ता या पुलिस • पीड़ित अदालत को उन पर हुए अपराध के प्रभाव के बारे में बताते हैं	**पीड़ित/इच्छुक पक्ष**	• इच्छुक पक्ष अपने लिए कार्य कर सकते हैं या वकीलों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवा सकते हैं • इच्छुक पक्ष किन मुद्दों पर गौर करना है इसपर विचार देते हैं, और अपने लिए सबूतों का मूल्यांकन करते हैं • इच्छुक पक्ष (या उनके वकील) किसी पूछताछ में गवाहों से सवाल पूछ सकते हैं
न्यायाधीश या जूरी	**निर्णय कौन लेते हैं**	मृत्यु समीक्षक
'सदोष' या 'निर्दोष' का निर्णय **यदि सदोष हो, तो सजा**	**परिणाम**	**पूछताछ से पहले सबूत के आधार पर मौत के कारण(णों) और परिस्थितियों के बारे में जाँच परिणाम** **जांच परिणामों में समान परिस्थितियों में भविष्य में होने वाली मौतों की संभावना को कम करने के लिए अनुशंसाएँ शामिल हो सकती हैं**